

04/03
25

अधिवक्तागण उपस्थित। जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने पर बन्द किया जाता है। बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया गया। लिहाजा प्राथमिक का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA अली-शान्ति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 05/02/2025 मूलवाद के निर्णय तक स्थायी की जाती है। पत्रावली निष्पत्ति होकर मूलवाद के साथ संलग्न है।



उत्तर प्रदेश अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर